सं: 26016/6/2016/सामान्य

दिनांक: 03.03.2017

प्रति

____

____

____

विषय: - कार्यालय मे शासकीय कार्यों / बैठको के लिए टैक्सी किराए पर लेने के लिए अनुबंध हेतु E-Procurement CPP पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने के संबंध मे।

महोदय,

इस कार्यालय मे समय समय पर आवश्यकता के आधार पर टैक्सी की सुविधा के लिए एक वर्ष का अनुबंध किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय मे किराए पर टैक्सी कि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संलग्न विवरण एवं नियम एवं शर्तो के अनुसार अपनी दरें CPP पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.03.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व अपलोड कराने की कृपा करें। निविदा अगले दिन साँय 2:30 बजे खोली जाएगी। निविदा कार्यालय कि वैबसाइट www.handicrafts.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

2/3/17

(रमेश चन्द)

सहायक निदेशक (सामान्य)

संलग्नक: - उपरोकतानुसार

Tender Ref. 26016/6/2016/Gen.

Tender ID 2017_DCHC_182195_1

टैक्सी के वार्षिक अनुबंध के लिए नियम एवं शर्तें: -

1 एजेंसी पंजीकृत हो तथा कोटेशन के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. एजेंसी द्वारा जमा कराये गए टैक्स एवं पैन नंबर संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. निर्धारित तिथि के बाद अथवा संप्रतिबंध एवं अपूर्ण निविदाओ पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों मे सरकारी विभागों मे किए गए अनुबंध का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
5. निविदा दो बिड़ सिस्टम के अंतर्गत तकनीकी बिड़ एवं फाइनेंशियल बिड़ अलग अलग प्रस्तुत की जाए।
6. अनुबंध की अवधि मे फर्म कार्य करने के लिए बाध्य होगी।
7. टेलीफोन पर टैक्सी के लिए आदेश देने पर टैक्सी 30 मिनट के अंदर उपलब्ध करानी होगी।
8. वर्ष 2013 के बाद वाले मॉडल की गाड़ियों को ही सेवा के लिए स्वीकार किया जाएगा।
9. उपलब्ध कराई जाने वाली गाडियाँ साफ सुथरी एवं आरामदेह होनी चाहिए।
10. गाड़ी का चालक कुशल, सभ्य एवं वर्दी मे होना चाहिए तथा चालक को दिल्ली के रास्तों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
11. यात्रा शुरू तथा समाप्ति के बाद ड्यूटी स्लिप मे मीटर रीडिंग की प्रविष्टि तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य हो अन्यथा उस यात्रा के बिल के भुगतान की ज़िम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी।
12. चलाई गई गाड़ी के कुल किमी की जानकारी यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद अथवा अगले दिन फोन पर संबन्धित अधिकारी को अवश्य दे दी जानी चाहिए।
13. निविदा के साथ Accounts Officer (Hqrs.)O/O the Development Commissioner (Handicrafts), New Delhi के नाम पर 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/ बेंकर चेक की प्रति प्रस्तुत करें तथा डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/बेंकर चेक फिजिकल रूप मे on or before 20.03.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय मे जमा कराएं अन्यथा इसके बिना निविदा रद्द मानी जाएंगी
14. जिस फर्म की दरें अनुबंध हेतु स्वीकृत होंगी, उसे 5 दिन के अंदर लेखा अधिकारी मुख्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली के नाम परफ़ोर्मेंस सिक्योरिटी हेतु 30,000/- रुपये की एक वर्ष के लिए बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट कार्यालय मे पहले जमा करानी होगी।
15. भेजी जाने वाली गाड़ी यदि आरामदेह न पाई गई अथवा तकनीकी खराबी हुई तो उसके बदले मे तत्काल दूसरी गाड़ी उपलब्ध करानी होगी।
16. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद्द करने तथा निविदा के नियम एवं शर्तों मे किसी भी नियम/शर्त को रद्द करने अथवा संशोधन करने का अधिकार कार्यालय मे सक्षम अधिकारी को होगा।
17. संतोषजनक सेवा न देने अथवा नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
18. भुगतान करते समय बिल से टीडीएस काटकर भुगतान किया जाएगा।
19. किसी भी विवाद के लिए मामले का दिल्ली न्यायालय मे निपटान किया जाएगा।

2/3/17

टैक्सी के लिए दरें

टैक्सी के लिए पैकेज	घन्टे	किमी	नॉन एसी एम्बेसडर इण्डिका सैन्टरों	ए/सी एम्बेसडर इण्डिका सैन्टरों	एस्टीम/ डिजायर/ इण्डिगो	इनोवा
फुल डे	8	80				
हाफ डे	4	40				
अतिरिक्त किमी की दर	—	1				
अतिरिक्त घंटे की दर	1	—				
दिल्ली से बाहर की दरें	8	200				
हाल्ट की दर	—	—				

नोट : टैक्स/सर्विस टैक्स का स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या दरों में शामिल है अथवा अलग से लिया जाएगा ।

[signature] 9/3/17